कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास)
चतुर्थ तल, अटल भवन, लिंक रोड नं. 02 तुलसी नगर भोपाल – 462003
संपर्क क्र. 9424499880
E-Mail-bmcmp.hfa@gmail.com

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत MIG (3BHK) आवासीय इकाई

योजना का नाम – बागमुगालिया

निविदा क्रमांक .... के अंतर्गत मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित होने वाले MIG (3BHK) आवासीय इकाई स्थान बागमुगालिया परियोजना में निर्धारित शर्तों पर आवंटित करने का कष्ट करें। मेरी जानकारी निम्नानुसार है।

श्रेणी – [ ]

(श्रेणी– सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति (महिला)/अनुसूचित जन जाति/ अनुसूचित जन जाति (महिला)/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)/अनारक्षित वर्ग (विधवा)/ दिव्यांग

1. आवेदक का पूरा नाम * : ....
   (आधार कार्ड में दर्शाये अनुसार)
2. पिता/पति का नाम * : ....
3. आवदेक की माता का नाम * : ....
4. लिंग (स्त्री/पुरूष/अन्य) * : ....
5. आधार कार्ड नं. * : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
6. वोटर आई.डी. नं. : ....
7. समग्र आई.डी. : ....
8. आवेदक की जन्मतिथि * : ....
9. पत्र व्यवहार का पूरा पता * : ....
   शहर .... राज्य .... पिनकोड * [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
10. टेलीफोन नं. : .... मो. नं. * [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
11. ई–मेल आई.डी.* : ....
12. व्यवसाय : ....
13. पेन कार्ड नं. * : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

14. बैंक खाते का विवरण * :
(क) बैंक खाता क्रमांक : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(ख) बैंक का नाम : ....
(ग) शाखा का नाम : ....
(घ) IFSC कोड : ....

15. क्या आवेदक अनुसुचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है ? (हां/नहीं) ☐

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करें व जाति का उल्लेख करें) प्रमाण पत्र क्र. ☐ ☐

16. क्या आवेदक दिव्यांग है ?(हां/नहीं) ☐

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी, जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र अपलोड करें।)

17. क्या अनारक्षित वर्ग (विधवा) श्रेणी के अंतर्गत आवास चाहते हैं। (हां/नहीं)

18. परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय : ....

19. हस्ताक्षरित किये गये नियम शर्तो की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

20. शपथ पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें। (निविदा स्वीकृति उपरांत मूल कॉपी एच.एफ.ए. कार्यालय में प्रस्तुत करें।)

21. मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर आवासीय इकाई आवंटित होती है तो में आवासीय इकाई हेतु निर्धारित राशि समय सीमा में जमा करा दूगां/दूंगी।

22. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई जानकारी भविष्य में असत्य पाई जाती है, तो मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

23. आवासीय इकाई के आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न शर्तो का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है तथा मुझे समस्त शर्तें स्वीकार हैं व आवेदक पर बन्धनकारी है। आवेदक वचन देता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रभावशील निम्न शर्तो तथा म.प्र. शासन के प्रभावशील नियम/अधिनियम का पालन करेंगे।

यह नियम शर्तें हस्ताक्षरित कर स्कैन करने के उपरांत अपलोड की जानी है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास)
चतुर्थ तल, अटल भवन, लिंक रोड नं. 02 तुलसी नगर भोपाल – 462003
संपर्क क्र. 9424499880, E-Mail-bmcmp.hfa@gmail.com

प्रधानमंत्री आवास योजना, बागमुगालिया, MIG (3BHK) हेतु आवासीय इकाई आवंटन की शर्तें

1. इस योजना के अंतर्गत निर्मित सभी तरह की आवासीय इकाईयों में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के नियम 9 अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए इकाईयों में निम्नानुसार आरक्षण किया गया है। आरक्षित वर्गों की इकाईयों की संख्या की सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
2. ई–निविदा में न्यूनतम प्रीमियम राशि से उच्चतम ऑफरकर्ता को नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।
3. म.प्र. शासन द्वारा पारित आदेश क्र. एफ/6–09/2021/सात/शाखा–3 दिनांक 17.05.2021 के अनुसार कलेक्टर महोदय द्वारा भूमि, नगर निगम भोपाल को भूमि स्वामी हक में शून्य प्रब्याजी पर आवंटित हुई है। तदानुसार निर्धारित वार्षिक भू–राजस्व के अनुसार भूमि स्वामी हक में आवासों का आवंटन किया जावेगा।
4. निविदा में प्राप्त समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा व समस्त औपचारिकताए पूर्ण होने पर प्रोविजनल आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। स्थाई आवंटन आदेश समस्त राशि जमा कराने के उपरांत जारी किया जावेगा।
5. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत MIG (3BHK) आवासों हेतु बैंक ऋण लिया जा सकेगा आवास ऋण पर बैंक के प्रचलित नियम प्रभावशील होंगे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ऋण ब्याज सब्सिडी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, किंतु भविष्य में अगर भारत सरकार द्वारा ऋण ब्याज सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। तब बैंक से नियमानुसार ऋण ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
6. निविदा स्वीकृति उपरांत निविदाकर्ता को निम्नानुसार राशि जमा कराना होगीः–

क्रं.	विवरण	इकाई के मूल्य का प्रतिशत
1.	स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर (चूंकि परियोजना में छत स्तर तक का निर्माण कार्यपूर्ण हो चुका है)	75%
2.	कार्यपूर्ण होने के पश्चात् 30 दिवस के अंदर (शेष राशि जिसमें प्रतिभूति निक्षेप सम्मिलित नहीं है)	25%

7. यदि बोलीकर्ता द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि (30 दिवस) के अंदर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सक्षम नगर निगम अधिकारी ''विक्रय को अनुपयुक्त कर दिया गया'' घोषित कर सकेगा तथा निविदा पुनः आमंत्रित की जावेगी।
8. यदि निविदाकर्ता चयन होने के उपरांत निविदा से बाहर होने की मांग करता है तो इस स्थिति में निविदाकर्ता की प्रतिभूति निक्षेप राजसात की जावेगी। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
9. यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात उच्चतम बोली लगाने वाले की प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर शेष सभी बोली लगाने वालों का प्रतिभूति निक्षेप वापस कर दिया जावेगा।
10. सफल निविदाकार की प्रतिभूति निक्षेप राशि 25 प्रतिशत राशि जमा उपरांत वापस की जा सकेगी। यदि सफल निविदाकार किसी कारणवश अपना आवास निरस्त कराता है तो उनके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत राशि में से 10 प्रतिशत राशि का कटौत्रा कर शेष राशि वापस की जा सकेगी।
11. उक्त राशि आवेदनकर्ता स्वयं के स्त्रोतों से अथवा पात्रता अनुसार बैंक से ऋण लेकर ऋण जमा कर सकता है। बैंक से ऋण लेने की स्थिति में त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। बैंक ऋण राशि स्वीकृत होने पर आवेदक पूर्ण ऋण राशि जमा करा सकते है, जो कि निर्धारित किश्त राशि से अधिक होने पर आगामी किश्तों में समायोजित कर ली जावेगी।
12. न्यूनतम प्रीमियम राशि MIG (3BHK) हेतु राशि रू. 36,00,000/– निर्धारित है तथापि कार्य पूर्ण होने तक लागत वृद्धि होने पर 10 प्रतिशत तक की वृद्धि मूल्य में की जा सकेगी जो कि अंतिम किश्त राशि में समायोजित की जा सकेगी।
13. योजना निर्माण एवं विकास कार्य निर्धारित समयानुसार करने का प्रयास किया जावेगा, परन्तु निर्माण कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में आवंटिती को निर्धारित समयावधि में ही राशि जमा कराना होगी। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

14. आवासीय इकाई के संबंध में प्रकोष्ठ अधिनियम के समस्त प्रावधान लागू होंगे तथा प्रकोष्ठों में रखरखाव हेतु निर्धारित शुल्क आवास कब्जे के पूर्व निर्देशानुसार एडवांस में जमा कराना होगा एवं रहवासी समिति के गठित होने के उपरांत रहवासी समिति के द्वारा निर्धारित रखरखाव/संधारण शुल्क समिति को देय होगा।
15. आवंटिती की मृत्यु होने पर विधिक वारिसों के नाम तत्समय के नियमों के अंतर्गत नियमानुसार नामांतरण हो सकेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा।
16. आवासीय इकाई पूर्णतया आवासीय उपयोग के लिये है। आवासीय इकाई का अन्य उपयोग आवंटन की शर्तों का उल्लंघन समझा जावेगा।
17. आवासीय इकाई में परिवर्तन/परिवर्धन निगम की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
18. किसी भी कारण से आवंटन निरस्त होने पर आवासीय इकाई का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्ण तरीके से आवंटिती द्वारा नगर निगम प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा।
19. आवंटिती द्वारा आवासीय इकाई के लिये विद्युत संयोजन, जल संयोजन संबंधित विभाग से स्वयं लेना होगा तथा इस हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
20. आवेदक के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तित पते की जानकारी नगर पालिक निगम, भोपाल को लिखित में उपलब्ध करानी होगी।
21. आवासीय इकाई आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्ते आवंटिती पर बंधनकारक होगी। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर इकाई से बेदखल करने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
22. आवंटिती को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवास आवंटित किया जा रहा है भविष्य में परीक्षण उपरान्त दस्तावेज असत्य/कूटरचित पाये जाते हैं तो आवास निरस्त कर आवंटिती के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
23. आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
24. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन आवंटिती को करना होगा, साथ ही केन्द्र, राज्य सरकार तथा नगर पालिका निगम, भोपाल के समस्त करों का भुगतान (जी.एस.टी. सहित) आवंटिती को करना होगा।
25. किसी भी प्रकार की वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय रहेगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
27. अचल संपत्ती अंतरण अधिनियम 2016 के समस्त प्रावधान नवीनतम संशोधन सहित लागू होंगे।
28. अपरिहार्य कारणों से निर्माण कार्य में विलंब होने की स्थिति में हितग्राही को उसकी जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

उपरोक्त समस्त शर्ते क्रमांक 01 से 28 तक मुझे स्वीकार हैं।

नोट–प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

स्थानः– भोपाल **आवेदक के हस्ताक्षर**

दिनांकः– ....

इस शपथ पत्र की प्रति स्कैन करने के उपरांत अपलोड की जानी है व पंजीयन उपरांत मूल प्रति एच.एफ.ए. कार्यालय में जमा की जाना है।

200 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरी किया हुआ

प्रधान मंत्री आवास योजना (बागमुगालिया आवासीय परियोजना) अंतर्गत MIG (3BHK) आवासीय इकाई प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र

1. मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता/करती हूँः–
   - (i) नाम : ....
   - (ii) पिता/पति का नाम : ....
   - (iii) आयु : ....
   - (iv) पता : ....
     ....
   - (v) आधार कार्ड नं. : ....
   - (vi) जाति : ....
   - (vii) व्यवसाय : ....
   - (viii) परिवार के सदस्यों की समस्त स्त्रोंतों से वार्षिक आय : ....
   - (ix) बैंक खाते का विवरण : ....
     - (क) बैंक खाता क्रमांक : ....
     - (ख) बैंक का नाम : ....
     - (ग) शाखा का नाम : ....
     - (घ) IFSC कोड : ....
2. यह कि मैंने आवंटन की शर्तों को भली भांति समझा लिया है जो कि पूर्णतः स्वीकार है।
3. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। भविष्य में जानकारी गलत पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

दिनांक :....................................

शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर

....

सत्यापन

मैं..............................पिता/ पति श्री ....

सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी सत्य है तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, जो आज दिनांक :..............................को सत्यापित किया गया।

स्थानः– भोपाल

दिनांकः– ....

शपथग्राहिता के हस्ताक्षर